

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(पुलिस- कैम्प)

दिनांक:: लखनऊ:: 10 मई, 2022

आदेश:-

आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह, पी0एन0ओ0-112192293 पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह पता- ग्राम- हरदौन पो0-पैतिहा थाना- कोरौव, जनपद -प्रयागराज मो0 नं0- 9651587722, 9956247808 को उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या डीजी-चार-स्था-115/2021/150 दिनांक 25-03-2021 द्वारा गहन जनपद फतेहपुर से (02) वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में श्री अभिषेक कुमार सिंह द्वारा दिनांक 24-08-2021 को वाणिज्य कर मुख्यालय उ0प्र0, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिन्हें वाणिज्य कर मुख्यालय के आदेश संख्या- 314 दिनांक 31-08-2021 द्वारा एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर कार्यालय में सम्बद्ध किया गया था।

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर के पत्र संख्या-1225 दिनांक 10-01-2022 द्वारा आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह, पी0एन0ओ0-112192293 बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया था। तत्क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या- 549 दिनांक 13-01-2022 एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया था कि आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह, पी0एन0ओ0-112192293 को उनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें कि क्यों न उनके अनुपस्थिति के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु उनके मूल विभाग को पत्र प्रेषित कर दिया जाय तथा उसकी प्रति पंजीकृत डाक से आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह, पी0एन0ओ0-112192293 पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह पता- ग्राम- हरदौन पो0-पैतिहा थाना- कोरौव, जनपद -प्रयागराज मो0 नं0- 9651587722, 9956247808 को भी प्रेषित की गयी थी। उक्त पत्र डाक विभाग द्वारा यह रिपोर्ट अंकित करते हुए कि "प्राप्तकर्ता लेने से इन्कार प्रेषक को वापस" मूलरूप में इस कार्यालय को वापस कर दिया गया है।

समसन्दर्भ में एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि0 अनु0शा0) वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर के पत्र संख्या- 1325 दिनांक 31-01-2022 के साथ संलग्न आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह के प्रार्थना पत्र दिनांक 31-01-2022 प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया था कि पुलिस कर्मी बीमार है तथा ड्यूटी करने में असमर्थ है। प्रार्थना पत्र में पुलिस कर्मी द्वारा अपनी बीमारी के सम्बन्ध में कोई भी पर्चा प्रेषित नहीं किया गया था। पुलिस कर्मी द्वारा दिनांक 28-02-2022 तक और अवकाश की मांग की गयी है। आरक्षी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के समय बीमारी के पर्चे उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है। आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह द्वारा रजिस्टर्ड डाक से माह मार्च, 2022 में वाणिज्य कर मुख्यालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए पुनः अवगत कराया गया था कि वह अभी बीमार है तथा ड्यूटी करने में असमर्थ है। जब ड्यूटी ज्वाइन करूँगा तो बीमारी से सम्बन्धित कागजात प्रस्तुत करूँगा। अतः उन्हें दिनांक 31-05-2022 तक अवकाश प्रदान किया जाय। बीमारी के सम्बन्ध में कोई भी पर्चा प्रेषित नहीं किया गया है।

नियमानुसार आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह को अपनी बीमारी से सम्बन्धित सूचना तत्समय अपने तैनाती कार्यालय / जोन कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए था, परन्तु इनके द्वारा ऐसा न करके इनके तैनाती जोन वाणिज्य कर सहारनपुर जोन द्वारा इनसे इनकी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पत्राचार किये जाने के उपरान्त श्री सिंह द्वारा अपनी बीमारी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जानबूझ कर कार्यालय से अनुपस्थित हुए हैं।

उल्लेखनीय है कि पुलिस कर्मी 02 वर्ष की अल्प अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर वाणिज्य कर विभाग में तैनात किये जाते हैं। ऐसे में बिना सूचना के कई माह ड्यूटी/ कार्यालय से गायब रहने से राजकीय कार्य प्रभावित होता है तथा बिना युक्ति-युक्त कारण के उपस्थित न होना कर्तव्य की उपेक्षा है जो कर्मचारी आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन है एवं अनुशासनहीनता का द्योतक भी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह के अनुपस्थिति / बीमारी के सम्बन्ध पुलिस अधीक्षक जनपद- फतेहपुर के स्तर से मेडिकल बोर्ड गठित कर इनकी बीमारी की जांच कराने के तत्पश्चात अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जनपद- फतेहपुर के स्तर से ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा श्री सिंह द्वारा अपनी बीमारी का सुचारू एवं समुचित इलाज मूल विभाग में रहकर कराये जाने के लिए इनकी वाणिज्य कर विभाग से 02 वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि को तत्काल प्रभाव से मध्य में समाप्त / निरस्त करते हुए इनको मूल विभाग प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को कार्यमुक्त / वापस किया जाता है।  
यह आदेश आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा किये गये अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

( प्रकाश स्वरूप पाण्डेय )

आई0पी0एस0

अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी को आयुक्त राज्य कर महोदया के अवलोकनार्थ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पुलिस कर्मी को राज्य कर विभाग में की गयी प्रतिनियुक्ति निरस्त करने का कष्ट करें।
- 3- पुलिस उपमहानिरीक्षक(कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को कृपया उनके कार्यालय के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था-115/2021/150 दिनांक 25-03-2021 के सन्दर्भ में।
- 4- पुलिस उपाधीक्षक स्थापना नि0 पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- पुलिस अधीक्षक जनपद- फतेहपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह, पी0एन0ओ0-112192293 के अनुपस्थिति / बीमारी के सम्बन्ध अपने स्तर से मेडिकल बोर्ड गठित कर इनकी बीमारी की जांच कराने के तत्पश्चात इनकी अनुपस्थिति अवधि के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। (संलग्नक)
- 7- अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि0 अनु0शा0) राज्य कर, सहारनपुर जोन सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि आरक्षी श्री अभिषेक कुमार सिंह, पी0एन0ओ0-112192293 पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह पता- ग्राम- हरदौन पो0-पैतिहा थाना- कोरॉव, जनपद-प्रयागराज मो0 नं0- 9651587722, 9956247808 को दि0 11-05-2022 के पूर्वान्ह से कार्यमुक्त करते हुए उनकी सूचना दूरभाष / व्हाट्सएप/ रजिस्टर्ड डाक से पुलिस कर्मी को तामील कराने के साथ ही उस आदेश की एक प्रति विशेष वाहक द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद- प्रयागराज कार्यालय के माध्यम से पुलिस कर्मी को तामील कराते हुए तामिली की सूचना से सर्वसम्बन्धित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये।
- 8- उप आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर, सहारनपुर को इस निर्देश के साथ की पुलिस कर्मी के अभिलेख अद्यतन कराकर तत्काल पुलिस अधीक्षक जनपद- फतेहपुर को प्रेषित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 9- संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

10/05/2022  
अपर आयुक्त(पुलिस) राज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।